



Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



E-mail - eepdranl@yahoo.com

पत्रांक 4317/36/री
सेवा में,

दिनांक रानीखेत 16/11, 2023.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 08बी./यू.सी.पी./06/174/2016/1311 दिनांक 17.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :-

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.00 है० ग्राम चन्धरखाड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित 1.485 हैक्टेयर भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 हैक्टेयर ग्राम चन्धरखाड़ी की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों की रख रखाव योजना हेतु संशोधित धनराशि ₹ 752396.00 जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का स्वामित्व वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तान्तरण कर दिया गया है। खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि ₹ 1254824.00 जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की दरों में वृद्धि होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बढी हुई दर के अनुसार ₹ 1254824.00 जमा कर दी गयी है। एन.पी.वी. की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्रमशः पेज-2 पर

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की धनराशि ₹ 2007220.00 प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान द्वारा जनरेट कर जमा कर दी गयी है। प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जानी है।	मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सकें सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा density को Review करने के उपरान्त सही density एवं NPV दर के अनुसार NPV आगणन की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	विभाग द्वारा Density को Review करने के उपरान्त सही density एवं एन.पी.वी. दर के अनुसार एन.पी.वी. डिमाण्ड नोट प्रेषित किया जा रहा है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑन लाईन uploaded चन्थरखाड़ी ग्राम सभा हेतु VLC meeting proceeding under FRA की original copy प्रेषित की जाएगी।	विभाग द्वारा ऑन लाईन अपलोड चन्थरखाड़ी ग्राम सभा की वनाधिकार प्रमाण पत्र में V.L.C. Meeting की Original Copy संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा original copies of maps for the area proposed for diversion and area proposed for CA प्रेषित किये जायेंगे।	विभाग द्वारा मोटर मार्ग के मैप तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मैप की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 4317 /36सी.

तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

FP/UK/ROAD/10541/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10541/2015)	ROAD105412015779	113105412015779	09 Dec 2016	CA: 2120389/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2749545/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4869934/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 28 Aug 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811161252) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
23 FP/UK/ROAD/10859/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10859/2015)	ROAD108592015496	113108592015496	30 Dec 2016	CA: 2485187/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3222585/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5707772/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 28 Aug 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811161247) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
24 FP/UK/ROAD/11258/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11258/2015)	ROAD112582015669	113112582015669	17 Nov 2016	CA: 752396/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1254824/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2007220/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 01 Sep 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Sep 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811171237) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
25 FP/UK/ROAD/19725/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/19725/2016)	ROAD197252016067	113197252016067	29 Dec 2016	CA: 1094394/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1419120/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2513514/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 17 Aug 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Aug 2017 Transaction Date : 15 Sep 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811912241) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
26 FP/UK/ROAD/17937/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/17937/2016)	ROAD179372016021	113179372016021	23 Sep 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 266085/-, trees effected by the proje : 240000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 506085/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 06 Jun 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Jun 2017 Transaction Date : 13 Jun 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5113112912164A19QGania) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.
27 FP/UK/ROAD/18403/2016 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/18403/2016)	ROAD184032016978	113184032016978	30 Sep 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 620865/-, gap filling plantation : 1200000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1820865/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 06 Jun 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Jun 2017 Transaction Date : 13 Jun 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5113112912160QGFBBille) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.



भारत सरकार
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 क्षेत्रीय कार्यालय,
 पिर्यसन रोड,
 वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
 पो 0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
 दूर मापा: 0135&2750809
 ईमेल/Email - moef.ddu@gmail.com
 पत्र सं० 08बी/यू0सी0पी0/06/174/2016/1311

GOVERNMENT OF INDIA
 MINISTRY OF ENVIRONMENT,
 FORESTS & CLIMATE CHANGE,
 REGIONAL OFFICE,
 Pearson Road, FRI Campus,
 P.O. New Forest, Dehradun - 248006
 Phone: 0135-2750809

दिनांक: 17.11.2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
 उत्तराखण्ड शासन,
 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-अल्मोड़ा, के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैंड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-883/X-4-16/1(283)/2016 दिनांक- 06.09.2016 महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/11258/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्तर्गत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-अल्मोड़ा में देघाट-नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैंड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-


1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.00 है० ग्राम चन्धरखाड़ी की सिविल रोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जम्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता में Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की-देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ^{density} को Review करने के उपरान्त सही density एवम् NPV दर के अनुसार NPV आगणन की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन में uploaded चन्धरखाड़ी ग्राम रागा हेतु VLC meeting proceedings under FRA की original copy प्रेषित की जाएगी।

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


प्रमाणित किया जाता है कि वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम चन्थरखाड़ी की VLC Meeting की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जा रही है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा Density को Deview करने के उपरान्त सही Density एवं एन०पी०वी० दर के अनुसार व डिमाण्ड नोट के अनुसार एन०पी०वी० जमा कर दी गयी है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


प्रमाणित किया जाता है कि एन०पी०वी० की वर्तमान निर्धारित धनराशि विभाग द्वारा जा कर दी गयी है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिङ्गुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा 1.485 है० भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 है० ग्राम चन्धरखाड़ी की सिविल भूमि का वन भूमि के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी गयी है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। खतौनी प्रेषित की जा रही है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा 1.485 है० भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में 3.00 है० ग्राम चन्धरखाड़ी की सिविल भूमि का वन भूमि के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी गयी है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है। खतौनी प्रेषित की जा रही है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशारी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिंगुड होते हुए झीपा बैण्ड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.485 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन०पी०वी० वर्तमान मूल्य की बढोतरी हुई है बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन०पी०वी० लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

2

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

सूचनापत्र : 05002.230065, फॉर्म : 05002.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 1922/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 30-9-2022

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत।

पत्रांक 3953
दिनांक 36/11
दिनांक 03/10/22

- विषय - एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ - प्रमुख वन संरक्षक (Hoff) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1257/P.O. दिनांक 03.06.2022।

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति 06.01.2017 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव में आपके द्वारा एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके तहत आपके द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है। आपके द्वारा निम्नानुसार एन0पी0वी0 की राशि जमा किये जाने व पूर्ण अनुपालन आख्या को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकरण में पूर्व में एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गयी है तो उसकी रसीद संलग्न करें और अतिरिक्त धनराशि ही जमा कराये। इसके अतिरिक्त यदि आपके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है तो पूर्ण धनराशि एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार ही जमा की जायेगी।

क्र0 सं0	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	एन0पी0वी0 की जमा धनराशि	एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार धनराशि	जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	11258/2015	Dheghat - Nagchula To Chanterkhali -Kaliyalingudh Jhpa Bend Motor Road.	1254825	1919882	1919882 (पूर्व निर्धारित एन0पी0वी0 धनराशि वर्तमान तक जमा नहीं की गयी है।)


Mahat
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


AEI/Amby

Mahat
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

कार्य का नाम :- झीपा वैण्ड कालीयालीगुढ चनतरखाली मोटर मार्ग का नव निर्माण





प्रस्तावित समरेखन 
 पूर्ण निर्मित मार्ग 





Civil Land 


 Host


 बस क्षेत्र अधिकारी,
 रेलवे क्षेत्र


 छायाप्रति प्रमाणित
 सहायक अभियन्ता
 प्रादेशिक वैण्ड, लोअरमिडिल
 राजीवकेत


 प्रादेशिक वैण्ड अधिकारी,
 लोअरमिडिल



 विभा. प्रिन्सिपल
 राजीवकेत

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



0 0.1 0.2 0.4 Km

Scale - 1:10,000



छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रादेशीय सड़क, सो०नि०बि०
रानीखेत

अधिसारी अभियन्ता
प्रादेशीय सड़क, सो०नि०बि०
रानीखेत [अल्मोड़ा]


S.no.	Longitude	Latitude
1	79°15' 42.523" E	29°57' 23.673" N
2	79°15' 43.431" E	29°57' 18.182" N
3	79°15' 47.456" E	29°57' 14.528" N
4	79°15' 53.309" E	29°57' 11.351" N
5	79°15' 57.133" E	29°57' 10.078" N
6	79°16' 3.093" E	29°57' 14.681" N
7	79°16' 0.377" E	29°57' 12.824" N
8	79°15' 55.081" E	29°57' 14.846" N
9	79°15' 50.096" E	29°57' 19.311" N
10	79°15' 54.134" E	29°57' 18.017" N
11	79°15' 59.679" E	29°57' 19.359" N
12	79°16' 4.073" E	29°57' 22.844" N
13	79°16' 9.568" E	29°57' 22.609" N
14	79°16' 15.061" E	29°57' 22.900" N
15	79°16' 20.781" E	29°57' 22.659" N

Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road

डिजिटल मैप - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km
Scale - 1:50,000



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

Handwritten signatures and initials.


छायाप्रति ब्रमाभित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय वन्य, लोअन-जव
रानीखेत

जीयोरफरेन्स मैप - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत देघाट नागचूलाखाल से चन्धरखाड़ी कलियालिगुड़ होते हुए झीपा बैंड मिलान हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु



0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:5,000



S.no.	Longitude	Latitude
1	79°16' 7.424" E	29°57' 22.915" N
2	79°16' 6.123" E	29°57' 22.692" N
3	79°16' 4.808" E	29°57' 22.529" N
4	79°16' 3.686" E	29°57' 21.911" N
5	79°16' 3.418" E	29°57' 20.724" N
6	79°16' 3.881" E	29°57' 19.511" N
7	79°16' 5.015" E	29°57' 18.847" N
8	79°16' 6.303" E	29°57' 18.823" N
9	79°16' 7.636" E	29°57' 18.829" N
10	79°16' 8.877" E	29°57' 18.406" N
11	79°16' 10.136" E	29°57' 18.089" N
12	79°16' 11.095" E	29°57' 18.962" N
13	79°16' 12.290" E	29°57' 19.488" N
14	79°16' 12.114" E	29°57' 20.318" N
15	79°16' 11.954" E	29°57' 21.602" N
16	79°16' 12.386" E	29°57' 22.772" N
17	79°16' 11.397" E	29°57' 23.478" N
18	79°16' 10.073" E	29°57' 23.290" N
19	79°16' 8.748" E	29°57' 23.103" N

डायाग्राम प्रमाणित
 डा. अमित अश्विनी
 डा. अमित अश्विनी
 स. अ. अ. अ. अ.

Handwritten signature

Handwritten signature
 अविशाही अभियन्ता
 भान्तीय सफ़्ट, सो.नि.वि.
 रानीखेत [बस्मोड़ा]

Legend

● GPS Co ordinates

■ Ca Land

Const. Of Jheepa band kaliyalingud chantarkhali from Deghat Nagchulakhal motor road (2.50 Km)

End Point

END POINT
29° 57' 22.65" N
79° 16' 20.08" E

Plantation Area
79° 15' 59.00" E
29° 75' 17.04" N

Start Point

START POINT
29° 57' 23.72" N
79° 15' 42.75" E

DUMPING YARD2
29° 57' 12.85" N
79° 15' 49.13" E

DUMPING YARD1
29° 57' 11.54" N
79° 15' 51.77" E

Google earth

© 2015 Google
Map © 2015 Google / Aerial

राज्यीय नदी
राज्यीय नदी
राज्यीय नदी

राज्यीय नदी

राज्यीय नदी

राज्यीय नदी

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- बेघाट आरक्षित वन के पुनर्विकासी - कृषि प्रकल्पवन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्रग्राम पंचायत का नाम - कृष्णाप्रकल्प
तहसील स्योके, जिला कच्छ


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद कच्छ के अन्तर्गत बेघाट परियोजना के निर्माण हेतु (~~1.25~~ हे० आरक्षित वन भूमि, ~~1.25~~ हे० सिविल सोयम भूमि, ~~1.25~~ हे० वन पंचायत भूमि ~~1.25~~ हे०) अर्थात् कुल ~~4.85~~ हे० वन भूमि का कृष्णाप्रकल्प विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कृष्णाप्रकल्प द्वारा दिनांक 15.11.2010 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कृष्णाप्रकल्प के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कृष्णाप्रकल्प प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/ सिद्ध
ग्राम सचिवह०/-
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

आवापति प्रमाणित


उपस्थित अभियन्ता
उत्तराखण्ड, लोहावाडी
कच्छ

प्रपत्र-23.1

दिनांक 15/03/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत काकोटा/काकोटा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अमर सिंह	अमर सिंह
2	बेता सिंह	बेता सिंह
3	आलम सिंह	आलम सिंह
4	बदर सिंह	बदर सिंह
5	बचें सिंह	बचें सिंह
6	हरि राम	हरि राम
7	नन्दा देव कौर	नन्दा देव कौर
8	नारायण देव	नारायण देव
9	बचें सिंह राणा	बचें सिंह राणा
10	मोहन सिंह	मोहन सिंह
11	हरी राम	हरी राम



छाया प्रति प्रमाणित
पंचायत अधिकारी
ग्रामीय खण्ड, सोनभोजी
रानीखेत

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2

चन्द्र खंडी - कार्यालय अधिकारी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बिड़िया
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बिड़िया (खण्ड)

उपखण्ड खण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत खण्ड
हे० आरक्षित वन भूमि, 485 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0 हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 485 हे० वन भूमि) का
बिड़िया प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (ताहसील खण्ड) की दिनांक 18-3-05 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री बिड़िया उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री बिड़िया उप जिलाधिकारी बिड़िया अध्यक्ष
- 2- श्री बिड़िया उप प्रभागीय वनाधिकारी बिड़िया सदस्य
- 3- श्री बिड़िया सहायक समाज कल्याण अधिकारी बिड़िया सदस्य / सचिव
- 4- श्री बिड़िया बी०डी०सी० क्षेत्र बिड़िया सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

चन्द्र खंडी - कार्यालय अधिकारी

परियोजना हेतु 18-3-05 हे० वन

भूमि

बिड़िया प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिड़िया द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बिड़िया

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 51/06 परिक्षेत्र के अन्तर्गत
ना.श.प.व.स. परियोजना के निर्माण हेतु 1.1.85
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- 51/06 (10) क.प.स.
जनपद अ.प.स.

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अ.प.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- 51/06 (10) क.प.स.
जनपद अ.प.स.

प्रमाणित
आवक अभियन्ता
प्रा.प.स.स.स., लो०नि०वि०
राजीवपुर


प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3


परियोजना का नाम :- ~~देवघाट भांग-मुला खाल से चन्दाखरी - अल्मोड़ा~~

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


10/06/15
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा



छायापत्र प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
ग्रामीय छाण्ड, लो0/न0/वि0
रानीखेत

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ¹⁻⁴⁸⁵ het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

खिला समाज कल्याण अधिकारी
बलभोइरा


10/04/15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

खिला समाज कल्याण अधिकारी
बलभोइरा

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्राचीन खण्ड, लोअर अंडर
राजीव नगर

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..1.485...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of

Rural Development Dept, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction...*Charanpur Khoni - Kalyan Ligan - Motar Road*.....

(Purpose for diversion of forest land) in...*Almora*...district falls within jurisdiction of...*Charanpur Khoni*...village(s) in...*Syalde*...Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..1.485...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

बिना प्रमाण प्रमाण अधिकारी

[Handwritten Signature]
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

बिना प्रमाण प्रमाण अधिकारी
बलयोग

जायाप्रति प्रमाणित
राज्यक अभियन्ता
प्रा. व. शा. लो. न. न. न.
रानीबेत

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....10.04.15.....at time.....11:00 AM.....at Almora. in which application claiming rights of area measuring .1.485. hect. for the Construction of DEPARTMENT - RAJCHULI RAZA I. MP-70 CHYETNAR KHANI KALIYALIMUN. RAJCHULI RAZA I. MP-70 of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

द्विजल समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)


10.04.15
Signature

द्विजल अधिकारी
अल्मोड़ा

छायाप्रति प्रमाणित
प्रमाणक अभियन्ता
प्रा.साय.एण्ड. लोअमजवेठ
रानीखेत